



विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017 - 18

जेल विभाग, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश शासन

जेल विभाग

विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन

2017-18



सजग, सुरक्षा, सावधान

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
---------	------	--------------

1. मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारी 1

2. भाग-एक

1. विभागीय संरचना

2-12

- 1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना
- 1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेल) की जानकारी
- 1.3 विभाग के अंतर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण
- 1.4 विभाग के दायित्व
- 1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी
 - 1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार
 - 1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण
 - 1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/ सी.सी.टी.वी. की सुविधा
 - 1.5.4 विधिक सहायता
 - 1.5.5. स्वास्थ्य परीक्षण
 - 1.5.6. जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक
 - 1.5.7. बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा
 - 1.5.8. बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण
 - 1.5.9. उद्योग, कृषि एवं उद्यान
 - 1.5.10. बंदियों की आधुनिक मुलाकात व्यवस्था
 - 1.5.11. जेलों में आई.टी.आई. की व्यवस्था
 - 1.5.12 इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा
 - 1.5.13 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा
 - 1.5.14 सांस्कृतिक कार्यक्रम
 - 1.5.15 आध्यात्मिक कार्यक्रम
 - 1.5.16 बंदियों को योग प्रशिक्षण
 - 1.5.17 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति

1.6. विभाग की प्राथमिकताएं

1.7. महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- 1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या
- 1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण
- 1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण
- 1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण

3	भाग-दो	13
	2.1 बजट सिंहावलोकन	
	2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय	
4.	भाग-तीन	14
	राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	3.1. राज्य योजनाएं	
	3.2. केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	
	3.3 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं	
	3.4 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं	
	3.5 अन्य योजनाएं	
5.	भाग-चार	15
	सामान्य प्रशासनिक विषय	
	1. जांच समिति / आयोग	
	2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति	
6.	भाग-पांच	45-19
	अभिनव प्रयास	
	5.1. अभिनव प्रयास	
	5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान	
	5.3. आगामी योजना	
	5.4. मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य	
	5.4.1. महिला बंदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण	
	5.4.2. प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता	
	5.4.3. महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजना	
	5.4.4. महिला बंदियों के लिए शिक्षा	
	5.4.5. महिला बंदियों के लिए विशेष परिहार	
7.	भाग-छः	19
	विभाग के प्रकाशन	
8.	भाग-सात	19
	सारांश	

जेल विभाग के माननीय जेल मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों की जानकारी

वर्ष 2017-2018

✦ मध्यप्रदेश, शासन ✦

विभाग का नाम	► जेल विभाग
प्रभारी मंत्री	► सुश्री कुसुम सिंह महदेले (03.07.16 से 07.02.18 तक) ► श्री अंतर सिंह आर्य (07.02.18 से निरन्तर)

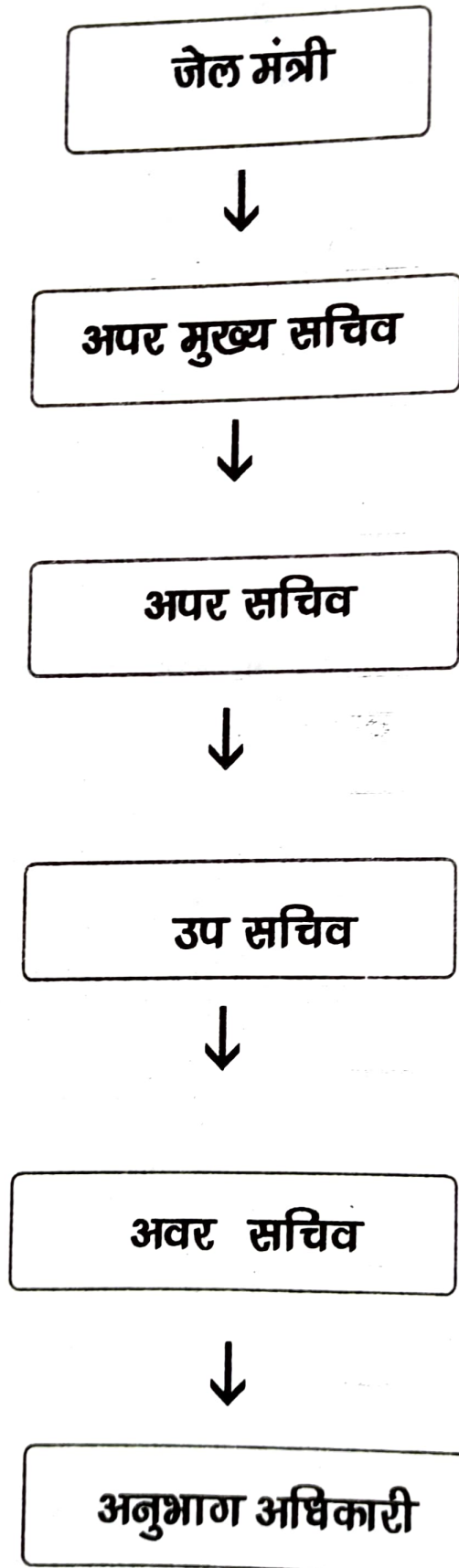
✦ सचिवालय ✦

अपर मुख्य सचिव	► श्री व्ही.सी. सेमवाल (01.04.16 से निरन्तर)
अपर सचिव	► श्री राजीव चन्द्र दुबे (05.11.16 से 05.01.18 तक)
उप सचिव	► श्री ललित दाहिमा (27.02.2017 से निरन्तर)
अवर सचिव	► श्री अजय नथानियल (07.11.16 से निरन्तर)
अनुभाग अधिकारी	► श्री संतोष भार्गव (24.12.16 से निरन्तर)

✦ विभागाध्यक्ष कार्यालय ✦

जेल महानिदेशक	► श्री संजय चौधरी (06.09.16 से निरन्तर)
अतिरिक्त जेल महानिदेशक	► श्री सुधीर कुमार शाही (03.11.16 से निरन्तर) ► श्री जी. आर. मीना (07.11.16 से निरन्तर)
जेल उप महानिरीक्षक	► डॉ. सुहेल अहमद (13.07.07 से निरन्तर) ► श्री संजय पाण्डे (09.11.15 से निरन्तर)

जेल विभाग, मंत्रालय की वर्तमान विभागीय संरचना



जेल मुख्यालय की विभागीय संरचना

महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं

अति. महानिदेशक जेल
एवं सुधारात्मक सेवाएं (पश्चिम)

अति. महानिदेशक जेल
एवं सुधारात्मक सेवाएं (पूर्व)

जेल उप महानिरीक्षक
(मुख्यालय)

जेल उप महानिरीक्षक
(स्थापना)

- ▶ संयुक्त संचालक
(वित्त एवं लेखा)
- ▶ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं लेखा)
- ▶ सहायक यंत्री
- ▶ उद्योग अधीक्षक
- ▶ सांख्यिकीय एवं
अनुसंधान अधिकारी

- सर्किल जेल
- ▶ इन्दौर
 - ▶ ग्वालियर
 - ▶ सतना
 - ▶ रीवा
 - ▶ नरसिंहपुर
 - ▶ होशंगाबाद
 - ▶ दतिया

▶ वरिष्ठ विधि अधिकारी

- सर्किल जेल
- ▶ उज्जैन
 - ▶ जबलपुर
 - ▶ सागर
 - ▶ सिवनी
 - ▶ भोपाल
 - ▶ बड़वानी

भाग - एक

1. विभागीय संरचना

1.1 विभागाध्यक्ष कार्यालय की संरचना

जेल विभाग (मंत्रालय) के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष, महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं का कार्यालय जेल मुख्यालय के रूप में कार्यरत है।

1.2 अधीनस्थ कार्यालयों (सर्किल जेल) की जानकारी

विभागाध्यक्ष कार्यालय के अधीन प्रदेश की केंद्रीय जेल इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, सतना, उज्जैन, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद तथा जिला जेल दतिया एवं सिवनी सर्किल जेलें हैं। सर्किल जेलों के अधीक्षकों का दायित्व अपने अधीनस्थ जेलों एवं वहां पदस्थ कनिष्ठ कर्मचारियों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रशासनिक नियंत्रण रखना है।

प्रदेश में स्थित केन्द्रीय जेलों, जिला जेलों, खुली जेल एवं सब. जेलों में बंदी आवास क्षमता 28227 है, जिसके विरुद्ध वर्तमान में कुल 38708 बंदी परिरुद्ध हैं। इनमें दंडित बंदी 17273 विचाराधीन बंदी 21268 एवं अन्य बंदी 167 हैं।

केन्द्रीय जेलें (11)

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी एवं होशंगाबाद।

जिला जेलें (40)

अलीराजपुर, इंदौर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, छतरपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, धार, बैतूल, रतलाम, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, शाजापुर, सीधी, मंदसौर, मुरैना, बालाघाट, गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिंड, पन्ना, विदिशा, खरगौन, रायसेन, मंडला, कटनी, नीमच, अशोकनगर, श्योपुरकलां, बैदना, उमरिया, हरदा, डिंडोरी, आगर एवं भोपाल।

सब. जेलें (71)

कन्नौद, गरोठ, जावरा, जोबट, तराना, नरसिंहगढ़, नागौद, पिपरिया, बुढार, बेगमगंज, बिजावर, मंडलेश्वर, महिदपुर, मैहर, सबलगढ़, सरदारपुर, सिहोरा, सेंधवा, खाचरौद, पिछोर, अमरवाड़ा, मेहगांव, वारासिवनी, लवकुश नगर, बैहर, सिवनीमालवा, नसरुल्लागंज, सारंगपुर, सैलाना, बागली, देपालपुर, महू, लखनादौन, पाटन, कोलारस, गोहद, मुलताई, नौगांव, जावद, सांवेर, कसरावद, जतारा, जौरा, अम्बाह, निवाड़ी, डबरा, ब्यौहारी, करेरा, गौहरगंज, शुजालपुर, बरेली, हटा, लटेरी, गंजबासौदा, सेवड़ा, पोहरी, खुरई, सुसनेर, धरमपुरी, बड़वाह, मऊगंज, रहली, चाचौड़ा, बंडा, पवई, मनावर, लहार, बदनावर, महेश्वर, सोनकच्छ एवं विजयपुर।

• नव जीवन आश्रम (खुली जेल कॉलोनी)

• क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान

• जेल प्रशिक्षण केन्द्र

01

01

01

होशंगाबाद

भोपाल

सागर

जेलों का सफ़िलवार विवरण

1. इंदौर सफ़िल: (9)

1. केन्द्रीय जेल, इंदौर
2. जिला जेल, इंदौर
3. जिला जेल धार
4. जिला जेल खंडवा
5. सब. जेल, सरदारपुर
6. सब. जेल, महू
7. सब. जेल, देपालपुर
8. सब. जेल, सावेर
9. सब. जेल, बड़वाह

2. बड़वानी सफ़िल: (11)

1. केन्द्रीय जेल बड़वानी
2. जिला जेल अलीराजपुर
3. जिला जेल झाबुआ
4. जिला जेल, खरगोन
5. सब. जेल, जोबट
6. सब. जेल, मंडलेश्वर
7. सब. जेल, सैधवा
8. सब. जेल, कसरावद
9. सब. जेल, घरमपुरी
10. सब. जेल मनावर
11. सब. जेल महेश्वर

3. उज्जैन सफ़िल: (21)

1. केन्द्रीय जेल, उज्जैन
2. जिला जेल, रतलाम
3. जिला जेल, शाजापुर
4. जिला जेल, मन्दसौर
5. जिला जेल, देवास
6. जिला जेल नीमच
7. जिला जेल आगर
8. सब. जेल, महिदपुर
9. सब. जेल, तराना
10. सब. जेल, खाचरीद
11. सब. जेल, कन्नौद
12. सब. जेल, सैलाना
13. सब. जेल, बागली
14. सब. जेल, जावद
15. सब. जेल, गरोठ
16. सब. जेल शुजालपुर
17. सब. जेल, जावश
18. सब. जेल सुसनेर
19. सब. जेल सोनकच्छ
20. सब. जेल बदनावर
21. सब. जेल सारंगपुर

4. ग्वालियर सफ़िल: (12)

1. केन्द्रीय जेल, ग्वालियर

2. जिला जेल, मुरैना
3. जिला जेल, भिंड
4. जिला जेल श्योपुर
5. सब. जेल, जौरा
6. सब. जेल, अम्बाह
7. सब. जेल, सबलगढ़
8. सब. जेल गोहद
9. सब. जेल मेहगौंव
10. सब. जेल लहार
11. सब. जेल, डबरा
12. सब. जेल विजयपुर

5. सागर सफ़िल: (10)

1. केन्द्रीय जेल, सागर
2. जिला जेल, दमोह
3. जिला जेल, टीकमगढ़
4. सब. जेल, बेगमगंज
5. सब. जेल, जतारा
6. सब. जेल, निवाड़ी
7. सब. जेल हटा
8. सब. जेल खुरई
9. सब. जेल, रहली
10. सब. जेल, बंडा

6. नरसिंहपुर सफ़िल: (3)

1. केन्द्रीय जेल नरसिंहपुर
2. जिला जेल, छिंदवाडा
3. सब. जेल, अमरवाड़ा

7. जबलपुर सफ़िल: (6)

1. केन्द्रीय जेल, जबलपुर
2. जिला जेल, मंडला
3. जिला जेल, कटनी
4. जिला जेल, डिंडोरी
5. सब. जेल, पाटन
6. सब. जेल, सिहोरा

8. भोपाल सफ़िल: (11)

1. केन्द्रीय जेल, भोपाल
2. जिला जेल, भोपाल
3. जिला जेल, राजगढ़
4. जिला जेल, सीहोर
5. जिला जेल, रायसेन
6. जिला जेल, विदिशा
7. सब. जेल, नरसिंहगढ़
8. सब. जेल, गौहरगंज
9. सब. जेल, बरेली
10. सब. जेल, लटेरी
11. सब. जेल, गंजबसौदा

9. होशंगाबाद सफ़िल: (8)

1. केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड अ)
केन्द्रीय जेल, होशंगाबाद (खण्ड ब)
2. नवजीवन आश्रम (खुली जेल) होशंगाबाद
3. जिला जेल, बैतूल
4. जिला जेल, हरदा
5. सब. जेल, सिवनीमानवा
6. सब. जेल, मुलताई
7. सब. जेल, नसरुल्लागंज
8. सब. जेल, पिपरिया

10. सतना सफ़िल: (9)

1. केन्द्रीय जेल, सतना
2. जिला जेल, छतरपुर
3. जिला जेल, पन्ना
4. सब. जेल, नागौद
5. सब. जेल, बिजावर
6. सब. जेल, लवकुश नगर
7. सब. जेल, नौगांव
8. सब. जेल, मैहर
9. सब. जेल पवई

11. रीवा सफ़िल: (8)

1. केन्द्रीय जेल, रीवा
2. जिला जेल, शहडोल
3. जिला जेल, सीधी
4. जिला जेल, उमरिया
5. जिला जेल, बैड़न
6. सब. जेल, व्यौहारी
7. सब. जेल, बुढार
8. सब. जेल, मऊगंज

12. दतिया सफ़िल: (10)

1. जिला जेल, दतिया
2. जिला जेल, शिवपुरी
3. जिला जेल, गुना
4. जिला जेल, अशोकनगर
5. सब. जेल, करैरा
6. सब. जेल, कोलारस
7. सब. जेल, पिछौर
8. सब. जेल, पोहरी
9. सब. जेल, चाचौड़ा
10. सब. जेल, सेवड़ा

13. सिवनी सफ़िल: (5)

1. जिला जेल, सिवनी
2. जिला जेल, बालाघाट
3. सब. जेल, बैहर
4. सब. जेल, लखनादौन
5. सब. जेल, वारासिवनी

1.4 विभाग के दायित्व:

1. विभाग का दायित्व न्यायालय द्वारा विभिन्न स्वरूप के कारावास से दंडित व्यक्ति को विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण देकर, उसकी दंडावधि को यथा सम्भव व्यावसायिक प्रशिक्षण काल में व्यतीत कराना तथा बंदियों की समुचित सुरक्षा, स्वास्थ्य, भरण-पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा नैतिक शिक्षा प्रदान कर उनकी आपराधिक मनोवृत्ति में सुधारात्मक परिवर्तन लाना है, ताकि बंदी दंडावधि व्यतीत कर जेल से मुक्त होने पर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर अपना शेष जीवन कानून प्रिय नागरिक की तरह व्यतीत कर सके।

2. न्यायालय द्वारा ऐसे विचाराधीन आरोपी जिन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु आदेशित किया जाता है, उन्हें अभिरक्षा में सुरक्षित रखकर निर्दिष्ट समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना।

1.5 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी:

1.5.1 बंदियों की मुक्ति एवं विशेष परिहार :

- (1) वर्ष 2017 में महानिदेशक जेल के आदेश से आपात पैरोल पर रिहा हुये बंदियों की संख्या 22 है।
- (2) वर्ष 2017 में महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किये गये पश्चातवर्ती अवकाश प्रकरणों के अंतर्गत जेलों से अवकाश हेतु मुक्त किये गये बंदियों की संख्या 4145 है।
- (3) वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 162 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (4) वर्ष 2017 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 234 बंदी शासन परिहार से लाभान्वित होकर रिहा हुये।
- (5) वर्ष 2017 में राज्य परिवीक्षा मंडल की अनुशंसा अनुसार शासनादेशानुसार प्रोबेशन लायसेंस पर मुक्त हुए बंदियों की संख्या 08 है।

1.5.2 कर्मचारियों को प्रशिक्षण:

प्रदेश में अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय जेल प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, भोपाल में स्थापित है। प्रहरियों को प्रशिक्षण देने के लिए जेल प्रशिक्षण केन्द्र सागर में स्थापित है। इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश प्रशासन अकादमी तथा अन्य राज्यों में स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में भी जेल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है। इस संबंध में म.प्र. पुलिस एवं केंद्रीय पैरामिलेट्री बलों से भी सहयोग प्राप्त किया गया।

जेल विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को जनवरी से दिसम्बर की अवधि में निम्नानुसार अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान किये गये:

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण की अवधि	प्रशिक्षण में भाग लेने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या
(अ) दीर्घकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
- आधारभूत प्रशिक्षण (प्रहरी)	6 माह	275
(बी.एस.एफ.ए. टेकनपुर, ग्वालियर)		
- आर्म्स प्रशिक्षण (प्रहरी)	2 माह	514
(आर.ए.पी.टी.सी. / पी.टी.एस., इन्दौर)		
(ब) अल्पकालिक प्रशिक्षण (राज्य के बाहर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो,	02 दिवस	02
केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर (राजस्थान)		
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली (बी.पी.आर.एण्ड डी)	02 दिवस	02

(स) अल्पकालिक प्रशिक्षण (राज्य के अन्दर प्रशिक्षण संस्थानों में)		
- आर्म्स प्रशिक्षण/रिफ्रेशर कोर्स (प्रहरी)	07 दिवस	800
(क्षेत्रीय जेल प्रबंधन एवं शोध संस्थान, भोपाल)		
- फाउन्डेशन कोर्स	07 सप्ताह	40
- आर्म्स प्रशिक्षण (जेल अधीक्षक/सहा. अधीक्षक)	02 माह	40
(आर.ए.पी.टी.सी./पी.टी.एस., इन्दौर)		
- रिफ्रेशर कोर्स (आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल)	05 दिवस	84
योग		1757

1.5.3 जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग/सुरक्षा प्रबंधन

प्रदेश की जेलों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु समस्त केन्द्रीय जेलों एवं 35 जिला जेलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त शेष जेलों में भी उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उच्च न्यायालय द्वारा प्रयास जारी हैं। प्रदेश की सभी केन्द्रीय जेलों एवं 27 जिला जेलों पर सी.सी.टी.वी. की सुविधा उपलब्ध है।

1.5.4 विधिक सहायता

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने एवं समय-समय पर माननीय न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत होने वाली याचिकाओं में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत किये जाने हेतु विधि अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

केन्द्रीय जेलों पर पदस्थ विधि अधिकारी ऐसे निर्धन बंदियों के आवेदन पत्रों को जो अधिवक्ता की फीस देने के लिए सक्षम नहीं हैं, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के समक्ष विधिक सहायता हेतु प्रस्तुत करते हैं, जहां से बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

इसके अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश की केन्द्रीय जेलों पर विधिक सहायता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किये जाते हैं, ताकि बंदियों को नियमों की जानकारी और विधिक सहायता उपलब्ध हो सके। विगत वर्ष प्रदेश की जेलों में विधिक सहायता शिविर लगाकर 4636 बंदियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई।

1.5.5 स्वास्थ्य परीक्षण :

राष्ट्रीय/मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की जेलों में निरुद्ध होने वाले प्रत्येक बंदी का प्रतिमाह नियमित रूप से जेल पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिमाह बंदियों के किये जाने वाले स्वास्थ्य परीक्षणों के प्रतिवेदन आयोग द्वारा की गई अनुशंसानुसार जेलों से निर्धारित प्रपत्र पर जेल मुख्यालय को प्राप्त होते हैं। वर्ष 2017 में कुल 405950 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया।

1.5.6 जेलों में निरुद्ध बंदियों को पारिश्रमिक :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं समय-समय पर विभिन्न आयोगों द्वारा की गई अनुशंसा के परिपालन में सश्रम कारावास से दंडित बंदियों को जेलों में श्रम कार्यों में लगाया जाता है। प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदियों के सश्रम कारावास के दौरान किये गये कार्यों के लिये देय पारिश्रमिक की दरें निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	बंदियों की श्रेणी/प्रकार	पारिश्रमिक दर रुपये 110.00
1.	जेल उद्योग कार्य में लगे कुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 62.00
2.	जेल / उद्योग कार्य में लगे अकुशल बंदियों के लिए (प्रति बंदी आधा दिवस के कार्य हेतु)	रुपये 62.00
3.	कृषि कार्य में लगे बंदियों के लिए (प्रति बंदी 06 घंटे के कार्य हेतु)	

अर्जित किये गये पारिश्रमिक में से 50 प्रतिशत राशि को सामान्य निधि में पीड़ित पक्ष को भुगतान किये जाने हेतु सुरक्षित रखा जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत राशि बंदी के बैंक खाते में जमा की जाती है। सभी बंदियों की पारिश्रमिक राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में बंदी एवं जेल अधीक्षक के नाम पर संयुक्त खाते में जमा किया जाता है।

वर्ष 2017 में बंदियों को कुल राशि रुपये 8,78,88,552/- की पारिश्रमिक राशि प्रदाय की गई है।

1.5.7 बंदियों को इनकमिंग दूरभाष की सुविधा :

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों में बंदियों को बाहर से आने वाले दूरभाष (इनकमिंग फोन) की सुविधा प्रदान की गई। यह सुविधा केन्द्रीय एवं जिला जेलों पर अच्छा आचरण रखने वाले दंडित बंदियों को, जिनकी सजा 10 वर्ष से अधिक अथवा आजीवन कारावास हो एवं उनका निवास केन्द्रीय जेल से 50 कि.मी. की सीमा के बाहर आता हो, दूरभाष की अधिकतम वार्तावधि 05 मिनट के लिए प्रदान की जाती है। बंदियों को दूरभाष की सुविधा कार्यालयीन समय में उप अधीक्षक की उपस्थिति में प्रदान की जाती है, सुविधा का लाभ प्राप्त कर बंदी अपने परिवारजनों से दूरभाष पर वार्तालाप कर सकते हैं।

1.5.8 बंदियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण :

बंदियों को "कौशल विकास योजना" के अंतर्गत विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त हो एवं उसका उन्हें प्रमाण पत्र भी मानक संस्था से मिले, इस उद्देश्य से कौशल विकास के अंतर्गत बंदियों को टेलरिंग, कारपेन्ट्री, बुनाई (हैंडलूम एवं पावरलूम), कुकिंग, प्रिंटिंग, खिलौने (गुड़िया), स्टील बर्तन निर्माण, ट्रैक्टर मैकेनिक, वायरमैन ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

1.5.9 उद्योग, कृषि एवं उद्यान :

प्रदेश की केन्द्रीय जेलों एवं कुछ जिला जेलों में जहाँ लम्बी सजा अवधि वाले बंदियों को रखा जाता है, औद्योगिक प्रशिक्षण सह उत्पादन के उद्देश्य से विभिन्न इकाईयाँ संचालित हैं। वर्ष 2017 में 2940 बंदियों को औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के प्रशिक्षण हेतु बुनाई, सूती दरी, आसन, कालीन, निवार, बढईगिरी, प्रिंटिंग उद्योग (फाइल कवर, रजिस्टर, लिफाफे आदि), सिलाई उद्योग, लौहारी उद्योग, बर्तन उद्योग, पावरलूम, सीमेंट के उत्पाद (गमले, पेवर्स टाइल्स, जाली एवं चेयर), चित्रकला एवं काष्ठ कला जैसे उद्योग चलाये जा रहे हैं।

प्रदेश की जेलों में वर्ष के दौरान कृषि एवं बागवानी से कुल रु 18,07,127 एवं जेल उद्योगों से रु 3,08,59,203 का राजस्व प्राप्त हुआ।

1.5.10 बंदियों की आधुनिक मुलाकात व्यवस्था:

प्रदेश की 45 जेलों में मुलाकात की व्यवस्था इन्टरकॉम एवं टफेन्डग्लास माध्यम से की जा रही है। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से बंदियों की मुलाकात की पात्रता तय की जा रही है।

1.5.11 जेलों में आई.टी.आई. की स्थापना :

केन्द्रीय जेल भोपाल में महिला बंदियों हेतु 03 ट्रेड एवं उज्जैन में पुरुष बंदियों हेतु 04 ट्रेडों में नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग (एन.सी.वी.टी.) के मापदंड अनुसार आई.टी.आई. की स्थापना की गई है। जिला जेल धार एवं बैतूल में भी आई.टी.आई. की स्थापना की गई है।

1.5.12 इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)की सहायता से बंदियों को निःशुल्क शिक्षा:

इन्दिरा गाँधी विश्वविद्यालय द्वारा बंदियों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय जेलों/सर्किल जेलों में निःशुल्क अध्ययन केन्द्र बनाये गये हैं। इन केन्द्रों पर इग्नू की ओर से पाठ्य सामग्री व प्राध्यापक उपलब्ध कराये जाएंगे। वर्ष 2017 के दौरान इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में 2064 परीक्षार्थी (बंदी) शामिल हुए।

1.5.13 बंदियों को शैक्षणिक सुविधा :

प्रदेश की जेलों के दंडित बंदियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा है। जेल विभाग द्वारा समस्त निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएँ चलाई जाती हैं। पहले से शिक्षित बंदियों को आगे शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाती है और पूर्ण सहयोग दिया जाता है। जो बंदी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन्हें स्वाध्यायी छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है तथा समस्त व्यय एवं पुस्तकें विभाग द्वारा प्रदाय की जाती हैं। वर्ष 2017 के दौरान विभिन्न कक्षाओं में 2340 बंदियों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा हिन्दी राष्ट्र भाषा परीक्षा में 413 बंदी शामिल हुए। वर्ष 2017 में 11,419 दंडित एवं विचाराधीन बंदियों को साक्षर बनाया गया।

विशेष कार्यक्रम

1.5.14 सांस्कृतिक कार्यक्रम:

♦ प्रदेश की जेलों में वर्ष 2017 में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम समय-समय पर बंदियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से आयोजित किये गये। प्रमुख कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

♦ प्रदेश की जेलों में ईद-उल-फितर के अवसर पर परिरुद्ध मुस्लिम धर्मावलम्बी बंदियों को सामूहिक नमाज सम्पन्न कराई गयी, रक्षा बंधन के अवसर पर जेल में परिरुद्ध बंदियों को उनकी बहनों द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया एवं दीपावली के त्योहार पर बंदियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

♦ केन्द्रीय जेल, भोपाल में दिनांक 15.08.2017 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर श्रीकृष्ण के जीवन प्रसंगों पर आधारित झाँकी प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर जेल के सभी अधिकारीगण उपस्थित हुए।

♦ केन्द्रीय जेल भोपाल, सतना एवं नरसिंहपुर में इन हाउस रेडियो स्टेशन (जेलवाणी) की शुरुआत की गई।

1.5.15 आध्यात्मिक कार्यक्रम:

प्रदेश की जेलों में बंदियों के बौद्धिक विकास एवं नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

1.5.16 योग प्रशिक्षण:

प्रदेश की जेलों में बंदियों को स्वस्थ एवं निरोग रखने के उद्देश्य से बंदियों हेतु प्रतिदिन योगाभ्यास एवं समय-समय पर योग शिविरों का आयोजन किया गया।

1.5.17 प्रदेश की जेलों में गोवंश की स्थिति:

प्रदेश की केन्द्रीय जेल-भोपाल, सतना, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उज्जैन एवं नरसिंहपुर तथा जिला जेल-शाजापुर एवं देवास की गौशालाओं में 1037 गोवंश उपलब्ध है।

1.6 विभाग की प्राथमिकताएं :

1. बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जेलों में आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन।
2. आवश्यक बुनियादी ढाँचे में सुधार के उद्देश्य से पुनर्संरचना।
3. जेलों में अतिसंकुलता दूर करने के लिए बंदी आवास क्षमता में वृद्धि।
4. विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु कार्यवाही करना।
5. बंदियों के सामाजिक पुनर्स्थापन हेतु आजीविका मूलक व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाओं में उत्तरोत्तर सुधार करना।
6. जेल कर्मचारियों की व्यावसायिक निपुणता में सुधार करना।
7. बंदियों एवं कर्मचारियों को आवास, चिकित्सा, पाकशाला, स्वच्छता, जल-प्रबंध, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जेल वातावरण में सुधार करना।
8. बंदियों के मानव अधिकारों का संरक्षण।
9. बंदियों के विभिन्न तनावों को दूर करने हेतु प्रशिक्षण/सलाह देकर उनके जेल प्रवास को यथासम्भव तनावमुक्त एवं सुधारोन्मुख बनाना।

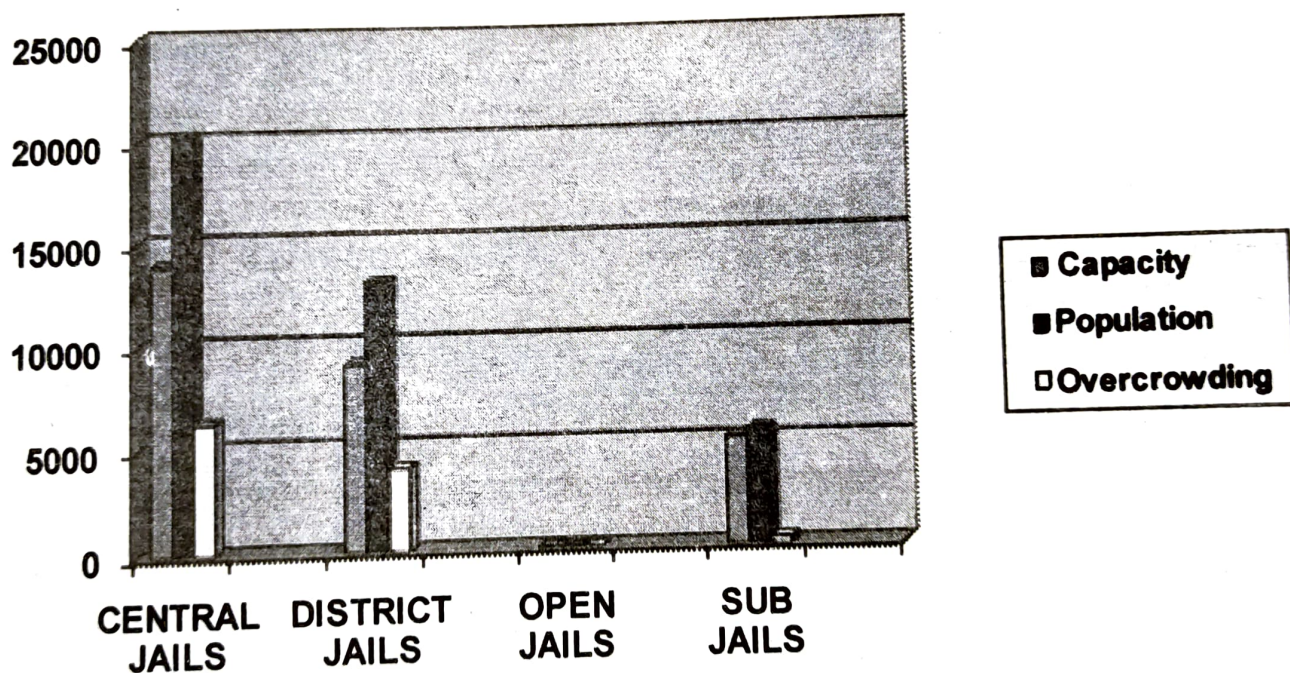
महत्वपूर्ण सांख्यिकी

1.7.1 जेलों का वर्गीकरण, क्षमता एवं परिरुद्ध बंदियों की संख्या :

(दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में)

क्र.	जेल श्रेणी	संख्या	आवास क्षमता			परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
			पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	केन्द्रीय जेल	11	13319	643	13962	19426	734	20160
2.	जिला जेल	40	8426	634	9060	12395	648	13043
3.	खुली जेल	01	25	—	25	21	—	21
3.	सब. जेल	71	4787	393	5180	5484	—	5484

INMATE POPULATION & OVERCROWDING IN JAILS



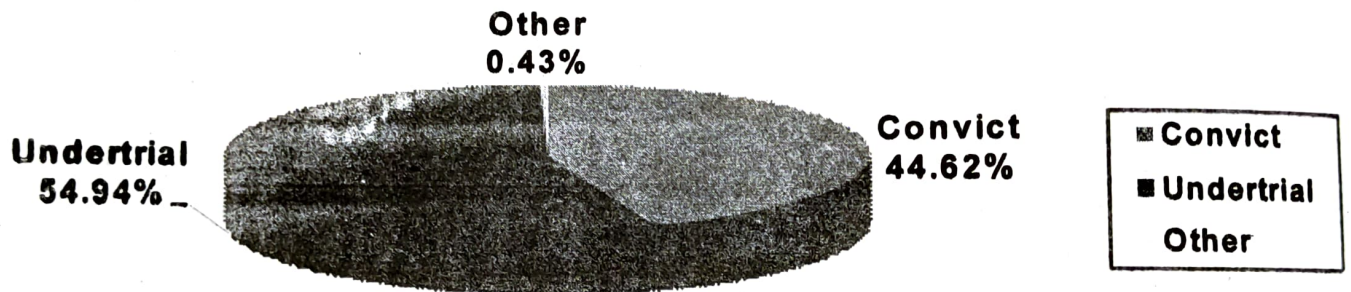
1.7.2 विगत 3 वर्षों में आवास क्षमता से अधिक बंदियों का तुलनात्मक विवरण :

क्र.	विवरण	परिरुद्ध बंदियों की संख्या		
		31 दिसम्बर 2015	31 दिसम्बर 2016	31 दिसम्बर 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	परिरुद्ध बंदियों की संख्या	38458	37649	38708
2.	क्षमता से अधिक बंदियों का प्रतिशत	39.81	36.03	37.13

1.7.3 बंदियों का विधिक वर्गीकरण :

क्र.	विवरण	31 दिसम्बर 2015 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2016 की स्थिति में			31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में		
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	दंडित बंदी	16455	603	17058	16232	612	16844	16622	651	17273
2.	विचाराधीन बंदी	20582	718	21300	19921	697	20618	20537	731	21268
3.	अन्य बंदी	99	01	100	187	00	187	167	00	167
	योग	37136	1322	38458	36340	1309	37649	37326	1382	38708

SHARE OF DIFFERENT TYPES OF PRISON INMATES TO TOTAL INMATES



1.7.4 बंदियों का आयुवार वर्गीकरण :

क्र.	उम्र	31 दिसम्बर 2015			31 दिसम्बर 2016			31 दिसम्बर 2017		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1.	18 वर्ष से 21 वर्ष	3069	42	3111	3678	53	3731	4268	93	4361
2.	21 वर्ष से 30 वर्ष	15014	452	15466	14679	379	15058	14812	439	15251
3.	30 वर्ष से 50 वर्ष	15481	632	16113	14641	679	15320	15015	637	15652
4.	50 वर्ष से अधिक	3572	196	3768	3342	198	3540	3231	213	3444
	योग	37136	1322	38458	36340	1309	37649	37326	1382	38708

भाग - दो

2.1 बजट सिंहावलोकन

जेल विभाग में प्रत्येक खर्च अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं, जिसे किसी भी परिस्थिति में कम अथवा स्थगित नहीं किया जा सकता है, जैसे - बंदियों को भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं अन्य खर्च, बंदियों को प्रदाय की जाने वाली सुविधाएं जो निश्चित धनराशि पर निर्धारित नहीं, अपितु इनका स्केल निर्धारित है। नियमों के अधीन बंदियों के लिए खाद्यान्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। जेल के अंदर प्रविष्ट होने वाले बंदियों की संख्या भी निश्चित नहीं होती है एवं आन्दोलन आदि के कारण जेलों पर बंदियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि से व्यय भी बढ़ जाता है।

2.2 बजट प्रावधान, लक्ष्य एवं व्यय:-

पिछले सालों में जेल विभाग का बजट प्रस्ताव राशि, स्वीकृत बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

(रूपये लाखों में)				
वर्ष	प्रस्तावित बजट प्रावधान	स्वीकृत बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक (+) बचत (-)
1	2	3	4	5
2013-2014	21608.34	21608.34	21373.83	(-) 234.51
2014-2015	24009.41	24009.41	22497.18	(-) 1512.23
2015-2016	29187.36	28741.62	25871.81	(-) 2869.81
2016-2017	35659.65	34235.82	30355.79	(-) 3880.03
2017-2018	41528.61	29736.27	22546.78	(31.12.2017 की स्थिति में)

वर्ष 2017-2018 के लिये प्राप्त बजट में से विभिन्न मदों में व्यय राशि की जानकारी दिनांक 31.12.2017 की स्थिति में निम्नानुसार है:

क्र. मद	व्यय राशि (रूपये में)
1. वेतन, भत्ते आदि	1344032148
2. कार्यालय व्यय	87028975
3. सफाई	44303746
4. विशेष सेवाओं हेतु मानदेय (बंदी पारिश्रमिक)	89153614
5. स्थाई सम्पत्तियों का अनुरक्षण (भवन मरम्मत)	25674652
6. वाहन (मरम्मत)	1036279
7. दवाईया क्रय	52998912
8. राशन का मूल्य (भोजन व्यय)	462951923
9. कपड़े, बिस्तर तथा टैंडस	31973609
10. अन्य प्रभार (बंदी परिवहन, परीक्षा, प्रशिक्षण मदों में)	32008271
11. अन्य शेष मदों में	83515417
योग	2254677546

भाग - तीन

राज्य योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

3.1 राज्य योजनाएं:

वार्षिक योजना 2017-2018

वार्षिक योजना 2017-18 के तहत प्रदेश की जेलों में 04 सियाज कार, 110 कम्प्यूटर, 47 नग मल्टीफंक्शन प्रिंटर एवं 02 फोटो कॉपियर मशीनें उपलब्ध कराई गई।

3.2 केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं:

पर्सपेक्टिव प्लान :

पर्सपेक्टिव प्लान 2002-07 में भारत सरकार द्वारा 05 वर्षों की योजना हेतु 75 : 25 मैचिंग ग्रांट के अंतर्गत कुल राशि रुपये 155.15 करोड़ (राशि रु. 31.03 करोड़ प्रतिवर्ष के मान से) का निर्धारण किया गया था।

इस योजना में प्रदेश की जेलों में विभिन्न प्रकार के कुल 753 निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग को स्वीकृत किए गए थे, जिनमें 08 नई जेलों का निर्माण, 411 नवीन बैरिकों का निर्माण, 1249 कर्मचारियों हेतु आई.टाईप आवासगृहों का निर्माण एवं विभिन्न सुधार कार्य शामिल हैं। कुल स्वीकृत 753 निर्माण कार्यों में से 739 निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरे कराए जा चुके हैं, जबकि 17 निर्माण कार्य शेष हैं। शेष रहे निर्माण कार्यों को पूरा कराए जाने हेतु वर्ष 2017-18 में राशि रुपये 600.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें दिसम्बर 2017 तक राशि रु. 535.18 लाख व्यय की जा चुकी है।

3.3 विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएं — निरंक

3.4 विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं/परियोजनाएं — निरंक

3.5 अन्य योजनाएं :-

प्रतिकर योजना :

जेल विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई, अपराधों के पीड़ित परिवारों को प्रतिकर राशि देने की योजना प्रशासन की अभिनव योजना है, जिसके अनुसार बंदियों को उपलब्ध कराये गये काम के बदले दी जाने वाली कुल मजदूरी की पचास प्रतिशत राशि एक पृथक सामान्य निधि बनाकर कलेक्टर एवं जेल अधीक्षक के संयुक्त खाते में कोषालय में जमा की जा रही है। इस सामान्य निधि की राशि का उपयोग पीड़ितों या उनके परिवार के सदस्यों को प्रतिकर दिये जाने में किया जाता है। शासन द्वारा पीड़ित की पात्रता का निर्धारण एवं संबंधित परिवार को प्रतिकर की राशि वितरित करने के लिए जेलों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक-सदस्य एवं संबंधित जेल अधीक्षक-सदस्य सचिव बनाये गये हैं। शासन के आदेशानुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे एवं चिन्हित धाराओं जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है के बंदियों से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उत्तराधिकारियों को समान अनुपात में प्रतिकर की राशि देय होगी। वर्ष 2017 में प्रदेश की जेलों में प्रतिकर राशि रुपये 1,13,75,000/- पीड़ित परिवारों हेतु स्वीकृत की गई है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. जांच समिति / आयोग:

जेल विभाग में वर्ष 2017-18 में किसी भी प्रकार की जांच समिति गठित नहीं हुई है।

2. जेल विभाग में न्यायालयीन प्रकरणों की स्थिति :

(अ) बंदियों से संबंधित:

जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण — 21

प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ — 11

(ब) कर्मचारियों से संबंधित:

जेल विभाग में प्राप्त प्रकरण — 31

प्रत्यावर्तन प्रस्तुत हुआ — 14

(स) विभागीय जांच:

पूर्व वर्ष के लंबित प्रकरण	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष
19	31	16	34

भाग - पांच

अभिनव प्रयास

5.1 अभिनव प्रयास

1. जेल विभाग के मानव संसाधन की पुनर्संरचना प्रतिवेदन :-

जेल विभाग की वर्तमान पद संरचना, अपर्याप्त, असंतुलित एवं समसामयिक नहीं है। विभाग के नवीन दायित्वों, अपेक्षाओं एवं जिम्मेदारियों के निर्वहन योग्य मानव संसाधन संरचना की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। अतः जेल महानिदेशक द्वारा इस कार्य हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जेलों की व्यवस्थाओं के उन्नयन हेतु समय-समय पर गठित राष्ट्रीय सुधार आयोगों/समितियों, मॉडल जेल मैन्युअल, 2018, राष्ट्रीय/राज्य मानव अधिकार आयोगों की अपेक्षाओं, सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के विभिन्न दिशा निर्देशों के विस्तृत अध्ययन उपरांत संतुलित एवं व्यावहारिक विस्तृत पुनर्संरचना प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को जुलाई, 2017 में प्रस्तुत किया है। इस पुनर्संरचना प्रतिवेदन की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन से जेलों की सम्पूर्ण व्यवस्थाओं में आमूल-चूल सकारात्मक परिवर्तन अपेक्षित है।

2 सुरक्षा आडिट रिपोर्ट:-

केन्द्रीय जेल, भोपाल से सिमी बंदियों की फरारी की घटना के बाद प्रदेश के केन्द्रीय जेलों की सुरक्षा की जांच हेतु नवम्बर, 2016 में एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रदेश की 11 केन्द्रीय जेलों की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन करने के उपरांत देश के अन्य राज्यों की जेलों में अपनाई जा रही आधुनिक सुरक्षा पद्धतियों का विस्तृत आकलन कर एक विस्तृत रिपोर्ट मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को वर्ष 2017 में सौंपी गई है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर पर प्रचलन में है।

3 **केन्द्रीय जेल, भोपाल में उच्च सुरक्षा यूनिट (अंडा सेल) की स्थापना:-**
 प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध आतंकी, नक्सली, अलगाववादी एवं संगठित अपराधी बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय जेल, भोपाल में एक उच्च सुरक्षा इकाई (अण्डा सेल) की अवधारणा विकसित की गई है, जिसकी रूपरेखा एवं अवधारणा राष्ट्रीय मानकों के अनुसार बनायी गयी है। उच्च सुरक्षा इकाई के निर्माण हेतु शासन द्वारा रुपये 409.09 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस इकाई की सुरक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षित 120 जेल कर्मियों की आवश्यकता है, जिसमें से 17 पदों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं शेष पदों की स्वीकृति प्रचलन में है।

4 **जेलों की सुरक्षा व्यवस्था का सुदृढीकरण:-**
 जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने पर विशेष ध्यान देते हुए, जेलों में सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करने, कंट्रोल रूम बनाने, इलेक्ट्रिक वायर फेंसिंग करने, वॉच टावर तथा गार्ड रूम बनाने, हाईमास्ट से प्रकाश करने के अभिनव कार्य स्वीकृत किए गए। केन्द्रीय जेल भोपाल के लिए राशि रुपये 448.36 लाख, इंदौर 417.00 लाख, जबलपुर 129.00 लाख, ग्वालियर 94.00 लाख, रीवा 49.00 लाख, सतना 101.00 लाख, उज्जैन 55.00 लाख, सागर 116.00 लाख, नरसिंहपुर 6.92 लाख, बड़वानी 6.92 लाख, होशंगाबाद 57.30 लाख की स्वीकृति सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ करने तथा नवीन व्यवस्थाओं के लिए 1911.63 लाख रुपये की स्वीकृति केन्द्रीय जेलों हेतु प्रदान की गई है, जिनका कार्य प्रगति पर है। जिला जेल खण्डवा, बालाघाट, बैठन, विदिशा, मुरैना, इन्दौर हेतु राशि रुपये 837.00 लाख एवं सहायक जेलों हेतु राशि रुपये 64.90 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

5. **जेल कर्मियों को प्रभावी प्रशिक्षण :-**

म0प्र0 जेल विभाग में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण संस्थान का अभाव है जबकि वर्दीधारी सुरक्षा विभाग में निरन्तर सजगता, सतर्कता, अनुशासन एवं अद्यतन तकनीकी ज्ञान के साथ शारीरिक मानसिक रूप से स्फूर्तिवान होना अनिवार्य आवश्यकता है।

अतः आलोच्य वर्ष में प्रभावी प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया। नवनियुक्त जेल अधीक्षकों, सहायक अधीक्षकों एवं जेल प्रहरियों को बी.एस.एफ. टेकनपुर, आर.ए.पी. टी.सी. इंदौर एवं जेल प्रशिक्षण संस्थान में प्रभावी शारीरिक एवं शस्त्र प्रशिक्षण प्रदान कर दिनांक 4, अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में गरिमामय, प्रभावी एवं ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह सम्पन्न कराया गया।

6. **जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह का प्रावधान :-**

म0प्र0 जेल विभाग में सकारात्मक कार्यों के प्रोत्साहन हेतु कोई राज्य स्तरीय पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। अतः जेल कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करने एवं मनोबल वृद्धि के उद्देश्य से शासन से स्वीकृति प्राप्त कर "जेल महानिदेशक प्रशस्ति चिन्ह" प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जो एक रचनात्मक एवं सकारात्मक पहल है।

7. **कल्याण कोष की स्थापना :-**

जेल विभाग के लगभग दस हजार जेल कर्मियों एवं उनके परिवारों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों की लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी। शासन स्वीकृति प्राप्त कर जेल कल्याण कोष की स्थापना जेल मुख्यालय एवं प्रत्येक इकाई पर की गई है। इसमें प्रतिवर्ष जेल कर्मों अपने वेतन का

1 प्रतिशत अंशदान देकर सदस्य बनेंगे तथा शासकीय योगदान के रूप में एक बार रुपये 50 लाख प्राप्त किये जायेंगे। इस कोष से जेल कर्मियों एवं परिजनों के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, मनोरंजन आदि से संबंधित कार्यक्रम चलाये जा सकेंगे।

8. जिला जेल स्तर तक कौशल उन्नयन :-

सजायाफ्ता कैदी जिला जेलों में बड़ी संख्या में परिरुद्ध हैं परन्तु अभी तक यहां कौशल उन्नयन कार्यक्रम संचालित नहीं होने से सुधारात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही थी।

प्रदेश के जिला जेलों में परिरुद्ध सजायाफ्ता कैदियों के कौशल उन्नयन हेतु टेलरिंग, कारपेंट्री के कार्यों को प्रारंभ करने हेतु 36 जिला जेलों को रुपये 1,22,80,000/- उपकरण एवं कच्चामाल कय करने हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

5.2. जेलों में शिक्षा उन्नयन अभियान :

मध्यप्रदेश की विभिन्न जेलों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत आठवीं कक्षा तक की शिक्षा के कार्यक्रम को हाथ में लिया गया है। उच्च शिक्षा के लिए बंदियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष स्नातक के 627, स्नातकोत्तर के 49, प्राथमिक शिक्षा के 790, माध्यमिक शिक्षा के 196, उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडियेट के 1305, कुल 2340 परीक्षा में बंदी सम्मिलित हुए हैं।

सर्वशिक्षा अभियान के तहत राज्य शिक्षा मिशन के माध्यम से प्रदेश की जेलों में साक्षरता अभियान शुरू किया गया, वर्ष 2017 में 11419 बंदी सर्वशिक्षा अभियान के तहत लाभान्वित हुए हैं।

5.3. आगामी योजनाएं :-

(1) जेल नियमावली के प्रावधान अनुसार जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से जेल कर्मियों का जेल परिसर में निवास करना आवश्यक है। परन्तु वर्तमान में लगभग 60 प्रतिशत जेल कर्मी शासकीय आवासों की कमी के कारण जेल परिसर के बाहर निवास करते हैं। अतः प्रावधानों के विपरीत इस परिस्थिति को समाप्त करने हेतु शासकीय आवास निर्माण योजना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

(2) बंदियों को मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति :-

सुरक्षा की दृष्टि से विगत वर्ष जेल में परिरुद्ध बंदियों को मुलाकात आदि माध्यमों से निजी सामग्री प्राप्त किया जाना प्रतिबंधित किया गया है।

अतः बंदियों के आहार, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ वस्तुओं का प्रावधान किया जाना व्यावहारिक रूप से आवश्यक है जिसकी स्वीकृति शासन से चाही गई है।

(3) खुली जेलों का निर्माण :-

प्रदेश की जेलों में बंदियों की ओवर काउडिंग कम करने, बंदियों को सामाजिक पुनर्स्थापन में सहायता करने तथा शासन के वित्तीय भार को कम करने के उद्देश्य से 10 खुली जेलों को प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है।

(4) जेल चिकित्सक संवर्ग की स्थापना :-

प्रदेश की जेलों में जेल चिकित्सकों के 58 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध मात्र 08 पद ही भरे हुए हैं, शेष 50 पद रिक्त हैं। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग स्वयं चिकित्सकों की कमी से परेशान है। अतः स्वास्थ्य विभाग चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर जेलों को उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस गंभीर समस्या के निदान हेतु जेल चिकित्सक संवर्ग निर्माण एवं पद पूर्ति का प्रस्ताव शासन को अग्रेषित किया गया है।

5.4 मध्यप्रदेश की महिला नीति के अंतर्गत विभाग के कार्य

मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बनाई गई महिला नीति के अंतर्गत जेल विभाग ने महिलाओं के लिए निम्नानुसार कार्य किए :

5.4.1 महिला कैदियों को विभिन्न औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण :

जेल में सजा काट रही महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लघु एवं कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(i) केन्द्रीय जेल भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, नरसिंहपुर, ग्वालियर एवं रीवा तथा जिला जेल मंदसौर, नीमच, बैतूल, इन्दौर, धार, गुना, सिवनी एवं शिवपुरी में व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कुकिंग, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती, गुड़िया एवं राखी उद्योग का प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें 431 महिलाओं ने प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त किया।

5.4.2 प्रशिक्षण के दौरान आर्थिक सहायता:

कुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 110 रूपए एवं अकुशल महिला बंदियों को प्रति आधा दिवस के कार्य हेतु 62 रूपए पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

5.4.3. महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजना :

महिला बंदियों के पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण के अंतर्गत महिला बंदियों को विभिन्न लघु एवं कुटीर उद्योगों जैसे गुड़िया बनाना, कशीदाकारी, अगरबत्ती बनाना, फलावर मेकिंग, लिफाफा निर्माण, ब्यूटी पार्लर एवं एम्ब्रायडरी आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है।

5.4.4. महिला बंदियों के लिए शिक्षा :

प्रदेश की जेलों में महिला बंदियों को प्राथमिक कक्षा से स्नातकोत्तर तक विभिन्न कक्षाओं में पढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। निरक्षर महिला बंदियों को साक्षर बनाने के लिए कक्षाएं चलाई जा रही हैं। शासन द्वारा पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि की मुफ्त व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में 215 महिला बंदी शामिल हुईं एवं 642 महिला बंदियों को साक्षर बनाया गया है।

5.4.5. महिला बंदियों के लिये विशेष परिहार:

प्रदेश की जेलों में परिरुद्ध दंडित महिला बंदियों के लिये अच्छे आचरण एवं दिये गये कार्य को पूर्ण करने पर प्रतिमाह छः दिन की माफी दी जा रही है, साथ ही पूरे वर्ष में अच्छे आचरण पर G.C.R. (जेल नियमावली के नियम 706-अच्छे आचरण की माफी) के अंतर्गत अधीक्षक/उप अधीक्षक/सहायक अधीक्षक द्वारा एक माह की माफी दी जाती है।

जानकारी निरंक है।

भाग - सात सारांश

जेल विभाग अपने मुख्य दायित्व, बंदियों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने का निर्वहन करने के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के संबंध में उन्हें विविध सेवाएं प्रदान कर समाजोपयोगी बनाने में सतत प्रयत्नशील है।

प्रदेश की जेलों में बंदियों के सुधार और तनाव को कम करने के उद्देश्य से योग एवं विभिन्न सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। विभाग द्वारा निरक्षर बंदियों को साक्षर बनाया गया है और पहले से शिक्षित बंदियों को आगे की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गयी है। उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ा जा रहा है। विभाग द्वारा जेलों की आवास क्षमता में वृद्धि के प्रयास सतत रूप से किए जा रहे हैं तथा परिरुद्ध बंदियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु विधिक सेवा उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही जेल कर्मियों को सुरक्षा, अनुशासन एवं संवेदनशीलता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जेल विभाग द्वारा किए गए प्रयासों से बंदियों के आचरण एवं उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उनको दी जा रही शिक्षा एवं विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वे जेल से रिहा होने पर समाज में अच्छे नागरिक की तरह पुनर्वासित हो रहे हैं।

मुद्रक : केन्द्रीय जेल प्रेस, भोपाल